एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड

राशन की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

“हमारे गरीब भाई- बहन एक ही राशन कार्ड पर देश के किसी भी राज्य में राशन ले सकें, इसके लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू की गयी है।.. इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा, जो रोज़गार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गाँव छोड़कर कहीं और जाते हैं”

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

अध्याय

प्रस्तावना 01

1. एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड 03
2. प्रौद्योगिकी संचालित 05
3. वर्तमान प्रभाव और उपलब्धियां 11
4. लाभार्थियों तक पहुँच 15

प्रस्तावना

'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' (वन नेशन वन राशन कार्ड) योजना के माध्यम से राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी का कार्यान्वयन, भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है जिससे 80 करोड़ लाभार्थियों को सशक्त बनाया जा सके। इसमें प्रवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है। इस सुविधा के माध्यम से यद्यपि प्रवासी लाभार्थी गंतव्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पोर्टेबिलिटी के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन अपने राशन का उठान कर सकते हैं और उसी के साथ-साथ घर में उनके परिवार को पात्र राशन का एक भाग उठाने की अनुमति भी दी गई है ताकि वे स्वयं के लिए सहायता प्राप्त कर सकें। पोर्टेबिलिटी का उपयोग मीयादी या दीर्घकालिक हो सकता है।

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अधीन लाभार्थियों के निर्धारित कवरेज के कारण प्रवासी लाभार्थियों के लिए नया राशन कार्ड जारी करना कठिन हो जाता है, और यदि वे इसे जारी करा लेते हैं तो इससे देश की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कार्डों/लाभार्थियों की डुप्लीसिटी (दोहरापन) हो जाती है, जिससे

अनेक बचे हुए उचित पात्र लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल होने से वंचित रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उनके मूल ग्राम/कस्बे में उनसे जुड़ी उचित दर दुकानों में प्राप्त/उठान न किए गए खाद्यान्नों का उचित दर दुकानों के डीलरों द्वारा अन्यत्र हस्तांतरण का खतरा भी होता है, जिससे सरकार को खाद्य सब्सिडी की हानि होती है।

एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड सुधार का उद्गम इस विजन में है कि देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के कंप्यूटरीकरण को अगले स्तर तक ले जाया जाये। पोर्टेबिलिटी की यह प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है, जहां यह प्रणाली कंप्यूटरीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) संचालन की मजबूत नीव पर बनी है, जिसमें उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) में इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरणों की स्थापना और उनके राशन कार्ड के साथ लाभार्थियों के आधार नंबरों की सीडिंग (जोड़ना) शामिल है।

अध्याय 1

एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड

'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' प्रवासियों की कठिनाइयों का समाधान करने के लिए राशन कार्डों की राज्य के भीतर तथा अंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली है। इस प्रणाली से अनेक प्रवासी लाभार्थी इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरण पर बायोमेट्रिक पहचान प्रमाणन के माध्यम से अपने उसी मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करते हुए देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी पसन्द की किसी भी उचित दर (राशन) की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत रियायती खाद्यान निर्बाध रूप से प्राप्त कर रहे हैं। यह पहल सभी राज्य सरकारों को भी बिना कोई अतिरिक्त भार के अधिकतम लाभार्थियों को कवर करने में सक्षम बना रही है। तथा इस व्यवस्था से उचित दर दुकानों में प्रवासी लाभार्थियों द्वारा उठान न किए गए खाद्यान्नों के लीकेज/अन्यत्र हस्तांतरण पर भी रोक लगाई जा रही है क्योंकि अब पोर्टेबिलिटी के जरिए लाभार्थि अपने खाद्यान का उठान देश में कहीं भी कर सकते हैं, और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच इनका मिलान कर समायोजन

किया जा रहा है, जिससे खाद्यान्नों के अन्यत्र हस्तांतरण के अवसर न्यूनतम हो रहें हैं।

प्रवासियों को लाभ प्रदान करने के अलावा, यह व्यवस्था सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को उनकी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान से खाद्यान्न उठाने के लिए सुविधा प्रदान रही है और साथ ही यह संभावित रूप से राशन डीलरों की स्वेच्छाओं पर भी अंकुश लगाने में सक्षम है तथा उनमें लाभार्थियों को बेहतर सेवा देने के लिए अच्छी प्रतिस्पर्धा की भावना को भी प्रोत्साहित करती है।

अध्याय 2

प्रौद्योगिकी संचालित

इस प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तनकारी पहल की आधारशिला वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से पूर्व में किए गए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण के प्रयासों से रखी गई है। लेकिन यह व्यवस्था मुख्य रूप से उचित दर दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सेल (ई-पोस) उपकरणों के प्रचालन और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मानदंडों अनुसार वाले बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आइरिस) स्केनरों की उपलब्धता और लाभार्थियों के राशन कार्डों के साथ उनके आधार नंबर की सीडिंग पर निर्भर करती है।

बैकेंड (backend) में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ई-पोस सर्वरों को राशन कार्डों/लाभार्थियों की सूचना का निर्बाध आदान-प्रदान करने के लिए और आधार द्वारा निरंतर डि-डुप्लीकेशन (de-duplication) प्रक्रिया के जरिए देशभर में राशन कार्डों/लाभार्थियों की दोहरेपन (duplicity) को विराम देने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार ने राशन कार्डों का एक केन्द्रीय कोष (repository) स्थापित किया गया है ।

परिचालनतापूर्वक, पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अपने खाद्यान्नों को लेने के इच्छुक प्रवासी लाभार्थी सामान्य रूप से एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना अंतर्गत देश के किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अपनी पसंद की किसी भी ई-पोस युक्त उचित दर दुकान में जा सकते हैं और अपने राशन कार्ड अथवा आधार नंबर को उद्धृत या प्रस्तुत कर अपनी पहचान का बायोमेट्रिक प्रमाणन कर सकते हैं और अपनी पात्रता अनुसार खाद्यान उठा सकते हैं।

एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड की मुख्य विशेषताएं

1. पूर्णतः प्रौद्योगिकीय आधारित पहल, जिसमें प्रवासियों को पारदर्शी तरीके से उनकी खाद्य सुरक्षा हेतु आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त किया गया है।
2. मूल राशन कार्ड अथवा आधारकार्ड ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उचित दर दुकानों के डीलर को दोनों में से किसी एक की प्रति स्वीकार्य है अथवा दोनों नबंरों में से कोई भी एक नंबर का केवल उल्लेख करना होता है।
3. गृह राज्य से पात्रता की सूचना चयनित उचित दर दुकानों के इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सेल उपकरणों पर ऑनलाइन उपलब्ध होती है।
4. इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सेल (पोर्टेबिलिटी) के आधार आधारित प्रमाणित लेनदेन के जरिए स्थापित पहचान के उपरांत संतोषजनक रूप से खाद्यान्नों का उठान किया जाता है।

‘मेरा राशन’ मोबाइल ऐप

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के लिए प्रवासियों को सशक्त बना रहा है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग एनआईसी के साथ मिलकर एक मोबाइल एप्लीकेशन “मेरा राशन” शुरू किया है, जो एनएफएसए लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए है।

ऐप की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं जो की लाभार्थियों द्वारा आसानी से अपने राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर का उपयोग करके प्राप्त की जा सकती हैं:

1. प्रवासी एनएफएसए लाभार्थियों का पंजीकरण - एनएफएसए लाभार्थियों के लिए अपने माइग्रेशन विवरण को दर्ज करने के लिए एक वैकल्पिक सुविधा। यह जानकारी राज्यों को उन लाभार्थियों के लिए ओनआरसी के तहत खाद्यान्न की अग्रिम योजना और प्रावधान करने में मदद करती है ।	**2. मेरा लेन-देन** - राशन कार्ड पर किए गए पिछले लेनदेन की जानकारी ऐप पर पासबुक की तरह उपलब्ध है
3. अपनी पात्रता को जानें - प्रवासी एनएफएसए लाभार्थियों के साथ-साथ उनके परिवारों को आसानी से उनके उपलब्ध हकों को जान सकते हैं।	**4. पात्रता मानदंड** - यह सुविधा लाभार्थियों को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के लिए अपनी पात्रता स्थिति की जांच करने में सक्षम बनाती है।
5. आस-पास की उचित मूल्य दुकानों का पता लगाएं-जीपीएस सक्षम सुविधा प्रवासी लाभार्थियों की सहायता करने के लिए प्रदान की जाती है ताकि किसी नए राज्य/जिला/स्थान पर निकटतम उचित मूल्य की दुकान की पहचान और उनका पता लगाया जा सके और यह भी पता चल सके कि दुकान इस समय खुली है या बंद है ।	**6. ओएनओआरसी स्टेट्स** - इस फीचर के जरिए ऐप ओएनओआरसी के तहत सभी राज्यों/ यूटी की लिस्ट उपलब्ध कराता है।
7. आधार सीडिंग - इस सुविधा के माध्यम से राशन कार्ड के साथ आधार सीडिंग की स्थिति की तुरंत जांच की जा सकती है।	**8. सुझाव/फीडबैक** - लाभार्थियों और हितधारकों के लिए सरकार के साथ अपने सुझाव और फीडबैक साझा करने का विकल्प।

वर्तमान में , 'मेरा राशन' मोबाइल एप्लिकेशन 13 भाषाओं में उपलब्ध है, नामतः अंग्रेज़ी, हिंदी, कन्नड़, ओडिया, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, मराठी, तमिल, उर्दू , बांग्ला और असमिया। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। भविष्य में इस ऐप में कुछ और क्षेत्रीय भाषाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं और इसकी उपयोगिता में सुधार करने और प्रवासी लाभार्थियों के अधिकतम लाभ हेतु इस ऐप और सुविधाओं और कार्यक्षमताओं को भी लाया जा सकता है।

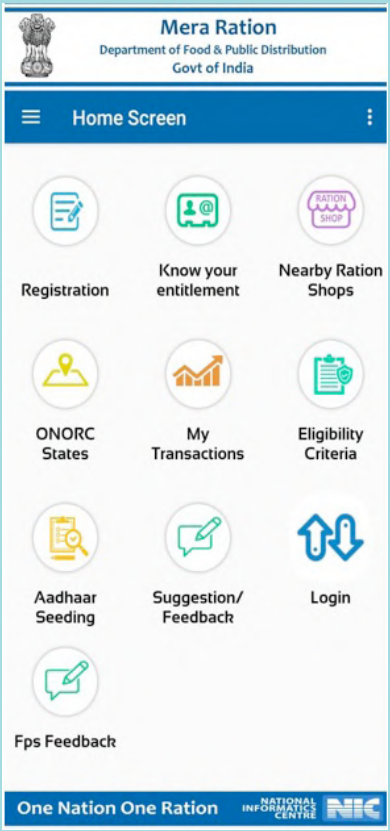
Mera Ration
Department of Food & Public Distribution
Govt of India
Home Screen
Registration
Know your entitlement
Nearby Ration Shops
ONORC States
My Transactions
Eligibility Criteria
Aadhaar Seeding
Suggestion/ Feedback
Login
Fps Feedback
One Nation One Ration
NATIONAL INFORMATICS CENTRE
NIC

मेरा राशन
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत सरकार
मुख्य मेनू
पंजीकरण
लाभ की जानकारी
आसपास की राशन की दुकानें
ONORC राज्य
लाभार्थी लेन-देन
लाभार्थी पात्रता
आधार सीडिंग
प्रतिक्रिया
लॉग इन करें
Fps Feedback
One Nation One Ration
NATIONAL INFORMATICS CENTRE
NIC

मेरा राशन
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत सरकार
आसपास की राशन की दुकानें
निम्नलिखित दुकानें आपके वर्तमान स्थान के पास मिलीं।
दिशा-निर्देशों के लिए नक्शा पर क्लिक करें
वर्तमान स्थान का विवरण
राज्य : TELANGANA
जिला : HYDERABAD
पता : BRKR BHAVAN GOVERNMENT OFFICES COMPLEX, NH 44, HILL FORT, ADARSH NAGAR, HYDERABAD, TELANGANA 500063, INDIA
नजदीकी लैंडमार्क : BRKR BHAVAN GOVERNMENT OFFICES COMPLEX
Latitude : 17.4075689
Longitude : 78.4742348
राज्य : TELANGANA
जिला : HYDERABAD
दुकान संख्या : 1674456
विक्रेता का नाम : NA
दूरी :0.56 KM Lat:17.4025 Long:78.4746
राज्य : TELANGANA
जिला : HYDERABAD
दुकान संख्या : 1676609
विक्रेता का नाम : NA
दूरी :0.83 KM Lat:17.40849 Long:78.48202
NATIONAL INFORMATICS CENTRE NIC
वन नेशन वन राशन कार्ड

मेरा राशन
ऍप्लिकेशन !
GET IT ON Google Play
अब १३ भाषाओं में उपलब्ध
इंग्लिश
हिंदी
कन्नड़
ओड़िया
मराठी
बंगाली
गुजराती
पंजाबी
तेलुगु
मलयालम
तमिल
उर्दू
असमिया

अध्याय 3

वर्तमान प्रभाव और उपलब्धियां

पिछले आठ वर्षों की अवधि में सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीरण और लाभार्थियों को खाद्यान्नों

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने वाले सभी 19.5 करोड़ राशन कार्डों को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्ण रूप से डिजिटाइज किया जा चुका है।

राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 100% राशन कार्ड और लाभार्थियों को उनके आधार नंबरों से भी जोड़ा गया हैं।

खाद्यान्नों के ऑनलाइन और पारदर्शी वितरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सेल (ई-पोस) उपकरण लगभग देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालन में हैं। देशभर में लगभग सभी उचित दर दुकानों (~100%) को ई-पॉस द्वारा संचालित किया गया है।

सभी उचित दर दुकानों के लिए खाद्यान्नों के ऑनलाइन आवंटन आदेश तैयार करने की प्रणाली सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण/ कैश क्रियान्वयन के कारण चंडीगढ़ और पुदुच्चेरी को छोड़कर) में क्रियान्वित कर दी गई है।

गोदामों में स्टाक का ऑनलाइन प्रबंधन करने और इसकी आमद और निर्गम के संचलन के लिए 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को भी कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1967/1800-सीरीज के टोल फ्री हेल्पलाइन नं और पारदर्शिता पोर्टल ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण सुविधा सहित स्थापित कर दी गयी हैं।

के कुशल तथा पारदर्शी वितरण को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से सुधार लाने के लिए कठोर प्रयास किए गए हैं। इस अंतराल में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रगति भी हुई है।

उपर्युक्त ई-गवर्नेंस गतिविधियों के महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में फिलहाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभाग द्वारा मासिक रूप से आवंटित खाद्यान्नों का 90% से अधिक वितरण बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सेल पर किए लेनदेन के जरिए लाभार्थियों को किया जा रहा है। इसके अलावा इस सूचक में निरंतर सुधार हो रहा है।

एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) की विलक्षण उपलब्धि यह है की इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के तकनीकी सहयोग से पूरी तरह स्वदेश में विकसित किया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी में कवर करने हेतु इस व्यापक सुधार को चार वर्ष की अवधि में केवल 127 करोड़ रुपये के न्यूनतम परिव्यय से हासिल किया जा रहा है। इसके अलावा यह व्यवस्था देश में अपनी तरह पहली नागरिक केन्द्रित पहल है, जिसको वर्ष 2018-19 में स्वीकृत होने और अगस्त 2019 से क्रियान्वयन प्रारंभ करने उपरांत जून 2022 तक की अल्पावधि में सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तेजी से क्रियान्वित कर दिया गया है। ये 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक एकीकृत पोर्टेबिलिटी मंच के जरिये 100% राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

आबादी को निर्बाध खाद्य सुरक्षा हेतु सशक्त बना रहे हैं। ऐसे में राशन की पोर्टेबिलिटी हर एनएफएसए लाभार्थी को आत्मनिर्भर बना रही है।

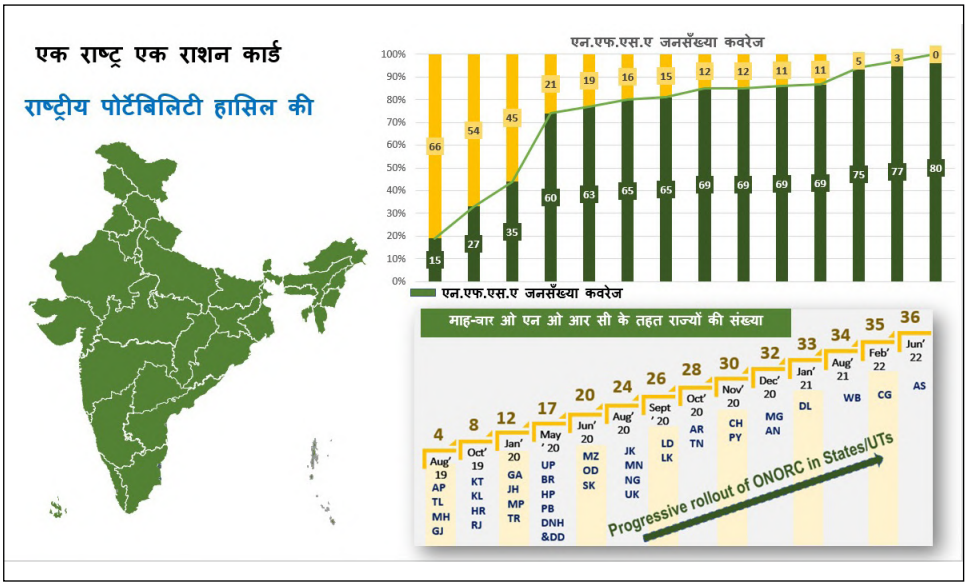

प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अधीन प्रौद्योगिकीय संचालित प्रणाली सुधारों का एक अभिन्न भाग

कैसे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ने कोविड महामारी के दौरान एनएफ़एसए लाभार्थियों की मदद की:

एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड कोविड महामारी/लॉकडाउन अवधि के दौरान किसी भी स्थान से खाद्यान्न का लाभ उठाने में एनएफएसए लाभार्थियों के लिए सहायक था । पसंद की यह स्वतंत्रता प्रत्येक NFSA लाभार्थी के लिए एक जबरदस्त मूल्य वर्धित सेवा है । पोर्टेबिलिटी का संचालन विभिन्न स्तरों यानी इंट्रा स्टेट (इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंट्रा डिस्ट्रिक्ट) और इंटर स्टेट पर किया जा रहा है। 01 अप्रैल 2020 से 16 नवंबर 2022 की अवधि के दौरान सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 83.72 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन-देन किए गए, जिससे बड़ी संख्या में एनएफएसए और PMGKAY लाभार्थियों, जिनमें ज्यादातर प्रवासियों को कार्य/अस्थायी प्रवास के स्थान के निकट एफ.पी.एस. से लाभ हुआ है। ओएनओआरसी के कार्यान्वयन ने कोविड महामारी अवधि के दौरान निरंतर सुधार किया है। एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या अप्रैल 2020 में 12 राज्यों से बढ़कर जून 2022 में 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में हो गई है।

अध्याय 4

लाभार्थियों तक पहुँच

चूंकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण करने की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है इसलिए उन्हें अपने अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस पहल के लिए प्रचार और जागरुकता सृजन अभियान चलाने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनसे एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड प्रचालनों के लिए समर्पित 14445 टोल-फ्री नंबर लागू करने का अनुरोध किया है, और वर्तमान में यह अधिकांश राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रोंमें कार्यशील है।

विभाग ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजनांतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 164 एफ.एम. (FM) और 91 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के जरिए हिन्दी तथा 10 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो आधारित प्रचार-प्रसार अभियान चलाया था। इसके अलावा प्रवासियों तक पहुँच बनाने के लिए इन सभी राज्यों में भारतीय रेल की सहायता से महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर आडियोस्पॉट (audio spot) को भी चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग प्रचार के जरिए इस पहल को लोकप्रिय बनाने के लिए सोशल मीडिया (ट्विटर और यूट्यूब चैनल) का भी सक्रिय रूप से प्रयोग कर रहा है।

इसके अलावा, विभाग ने रेलवे स्टेशनों पर राज्य परिवहन बसों और ऑडियो-विजुअल स्पॉट पर विज्ञापन के माध्यम से प्रवासी आबादी को लक्षित करने के लिए भी पहुंच गया है । 13 भाषाओं में एक विशेष रूप से अनुकूलित ओएनओआरसी मोबाइल ऐप 'मेरा राशन', जैसा कि पहले अध्याय-2 में उल्लेखित किया गया है, गूगल प्ले स्टोर से 20 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया गया है और राशन की पोर्टेबिलिटी को आसान बनाकर प्रवासी लाभार्थियों को अधिकतम लाभ प्रदान कर रहा है।

लाभार्थियों की बात

एनएफ़एसए लाभार्थियों के सितंबर 2020 में दर्ज किए गए कुछ प्रशंसापत्र

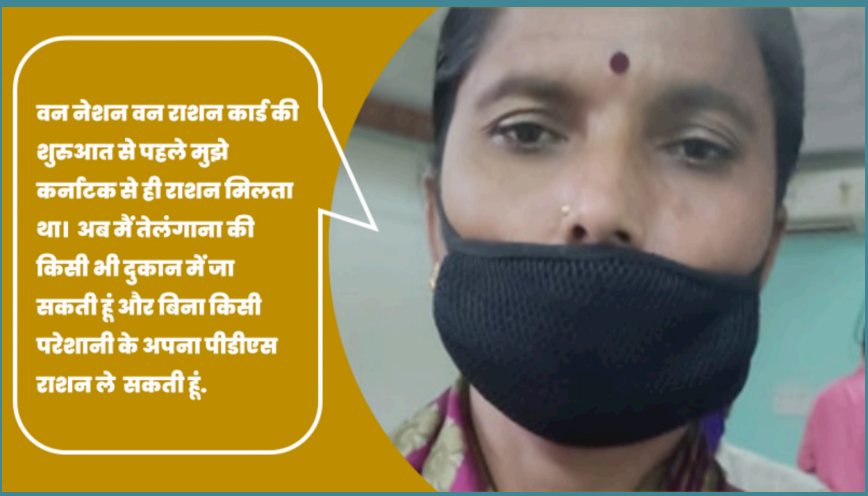

नाम: शावन बाई
राशन कार्ड नंबर: AUR14134279
गृह राज्य: कर्नाटक
राशन बिक्री राज्य: तेलंगाना
राशन बिक्री जिला: रंगरेड्डी

नाम: आमना खातून
मोबाइल:9725304871
गृह राज्य: बिहार
बिक्री राज्य: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
बिक्री जिला: दमन

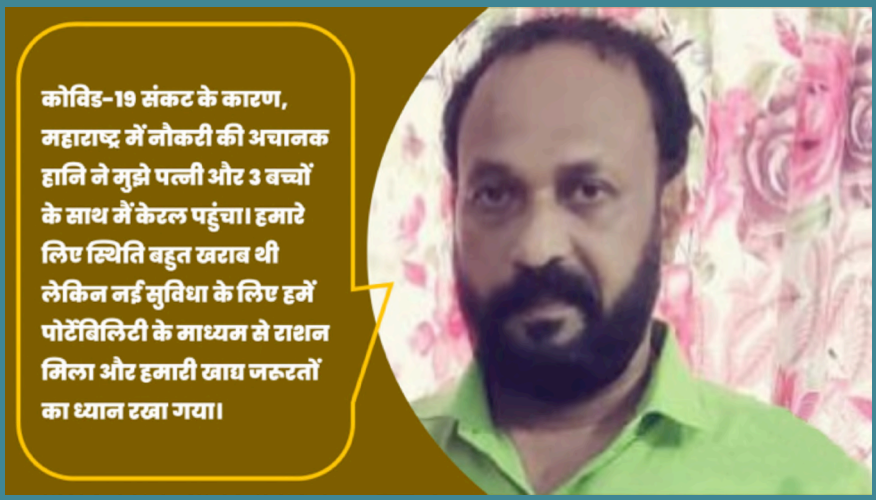

नाम: राधाकृष्णन
राशन कार्ड नंबर: 272010624154
गृह राज्य: महाराष्ट्र
राशन बिक्री राज्य: केरल

राशन के लिए अब 'एक राष्ट्र–एक कार्ड'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ देने से इस प्रणाली में चोरी और धांधली रोकने में जबर्दस्त सफलता मिली है। केंद्र सरकार ने अब उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए 'एक राष्ट्र-एक कार्ड' योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इससे उपभोक्ता किसी दूसरे राज्य की किसी भी राशन दुकान से रियायती दरों पर अनाज उठा सकते हैं।

योजना
- देश के किसी भी हिस्से में खुली दुकान से ले सकते हैं राशन
- कुछ राज्यों में यह व्यवस्था लागू, लाभार्थियों को हो रही सहूलियत

मनमानी और चोरी को बंद करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में यह कार्यक्रम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (आइएमपीडीएस) के नाम

PMO India @PMOIndia

अब पूरे भारत के लिए एक राशन-कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है यानि एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड 'one nation one ration card'। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा, जो रोज़गार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गाँव छोड़कर के कहीं और जाते हैं: PM @narendramodi

4:13 PM · Jun 30, 2020

20.4K · 4.6K people are Tweeting about this

Piyush Goyal @PiyushGoyal

In another step towards realising PM @NarendraModi ji's vision of enhancing Ease of Living, Meghalaya and Andaman & Nicobar Islands have been integrated with the One Nation One Ration Card scheme.

This will empower migrant beneficiaries to be self-reliant in food security.

7:34 PM · Dec 15, 2020 · Twitter for iPhone

Piyush Goyal @PiyushGoyal · Dec 15, 2020

Replying to @PiyushGoyal

Building upon our Govt's principles of inclusivity, convenience & accessibility, 69 crore beneficiaries are a part of One Nation One Ration Card scheme across 32 States & UTs.

They can seamlessly access their allotted food grains anywhere in India with their existing cards.

21 · 81 · 559

Easy access

Under the 'One nation, one ration card' system, beneficiaries can buy subsidised foodgrains from a ration shop in any part of the country

Ration card-Aadhaar linkage must to access the portability scheme

The scheme will be rolled out across the country on: July 1, 2020

A migrant will be allowed to buy a maximum of 50% of the family quota. This is to ensure that the individual, after shifting to another place, does not buy the entire family quota in one go

States providing portabil… of PDS entitlements:

- Andhra Pra… Haryana, Jha… Karnataka, K… Maharasthra… Telangana ar…
- A person w… eligible for t… supported by… which includ… ₹3/kg and w…
- Even if a be… moves to a S… grains are gi… he/she will n… access those…

@FoodDeptGOI @fooddeptgoi

Meghalaya and Andaman & Nicobar Islands are integrated with national portability cluster of One Nation One Ration Card plan. Now migratory beneficiaries can seamlessly access their subsidised #NFSA foodgrains from any FPS of their choice in 32 States/UTs. #ONORC @Secretary_DFPD

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में 'एक राष्ट्र, एक राशन' कार्ड योजना की शुरुआत की

दूसरे राज्य के कार्ड से राशन ले सकेंगे

शुभारंभ

सुविधा

प्रवासियों को सीधा लाभ

सहूलियत

डिजिटल डाटा की व्यवस्था

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार